

विस्तृत मूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है।

अस्पृश्यता निवारण

1242. श्री शिवकुमार शास्त्री :

श्री प्रकाशबीर शास्त्री :

श्री प्रेमचन्द वर्मा :

श्री मुहम्मद शरीफ :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री निहाल सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में से अस्पृश्यता को समाप्त करने के बारे में जो निर्णय किये जाने थे उनके बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि यह बुराई स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष बाद तक कई राज्यों में अभी तक प्रचलित है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बुराई को समाप्त करने के लिए कुछ ठोस पद उठाने पर विचार कर रही है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मुख्याल राव) : (क) से (ग). अस्पृश्यता की समस्या के कानूनी उपायों, प्रचार तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास संबंधी कल्याण कार्यक्रमों द्वारा हल किया जा रहा है। चतुर्थ योजना के अधीन इन उपायों का विस्तार किया जा रहा है। अस्पृश्यता का आचरण शहरी क्षेत्रों में लगभग समाप्त हो गया है। अलबत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में इके-दुके मामले होते रहते हैं।

राज्य सरकारों से अस्पृश्यता के मामलों में सख्त कार्यवाही करने को कहा गया है तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे लाइन का कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाना

1243. श्री ओमप्रकाश त्यागी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धार्मिक तथा अन्य दृष्टियों से कन्याकुमारी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक वर्ष देश के सभी भागों से हजारों यात्री वहां पर जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार वहां तक रेलवे लाइन की व्यवस्था करने का है?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). 1965 में की गयी जांच से पता चला था कि तिरुनेलवल्लि-नामरकोयल-तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन और कन्याकुमारी तक की शाखा लाइन के वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद होने की सम्भावना नहीं है। पिछली जांच के बाद से इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उसे देखते हुए अब इस लाइन की यातायात और वित्तीय संभावनाओं का पता लगाने और इस समय इस पर कितनी लागत आयेगी, इसका हिसाब लगाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि मीटर लाइन की पहली सर्वेक्षण रिपोर्टों का पुनर्मूल्यांकन किया जाये और वैकल्पिक बड़ी लाइन के मार्ग निर्धारण के लिए नया सर्वेक्षण किया जाये। हाल ही में इनकी मंजूरी दी गयी है। परियोजना के निर्माण के बारे में विनिश्चय तभी किया जा सकता है जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा और उसके परिणाम मालूम हो जायेंगे।

अस्पृश्यता तथा जातिवाद

1244. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जातिवाद और अस्पृश्यता को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार अन्तजातीय विवाहों को प्रोत्साहन करने पर विचार कर रही है; और